

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कच्छेडा की
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 384
में मेरा बसराज नाम का नाम दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम
बसराम ही है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2022/218
प्रशासनिक कार्य के संग
अभियान-2021

दिनांक:- 23/11/2022

प्रार्थी

बसराज

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम कच्छेडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के
खाता संख्या 384 में प्रार्थी का नाम बसराज दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम बसराम है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. बसराजपटवारी बसराज

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी बसराज व भूअ.नि. बसराज एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम कच्छेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 384 में प्रार्थी का
नाम बसराज के बजाय बसराम किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम कच्छेडा जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता
संख्या 384 में दर्ज प्रार्थी का नाम बसराज के स्थान पर बसराम संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)